उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-58/1328/एक-1-2015-5(97)/2014
लखनऊ: दिनाँक: 28 सितम्बर, 2015

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, गोण्डा के पत्रांक-31/भूमि व्यवस्था (पुनर्ग्रहण)/2014, दिनाँक 16.09.2014 तथा पत्रांक-31/भूमि व्यवस्था (पुर्न0)/2015, दिनाँक 27.07.2015 द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी, गोण्डा के आदेश संख्या-2345/भूमि व्यवस्था (पुनर्ग्रहण) पु0वि0/2013, दिनाँक 09.12.2013 द्वारा ग्राम कोल्हमपुर विशेन परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा में स्थित ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या-214 रकबा 0.040 हे0 पुलिस चौकी कोल्हमपुर विशेन भवन की स्थापना हेतु पुनर्ग्रहीत की गयी थी, के पुनर्ग्रहण सम्बन्धी आदेश को निरस्त करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2: प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त तत्कालीन जिलाधिकारी, गोण्डा के आदेश संख्या-2345/भूमि व्यवस्था (पुनर्ग्रहण) पु0वि0/2013, दिनाँक 09.12.2013 द्वारा ग्राम कोल्हमपुर विशेन परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा में स्थित ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या-214 रकबा 0.040 हे0 जो पुलिस चौकी कोल्हमपुर विशेन भवन की स्थापना हेतु पुनर्ग्रहीत की गयी थी, के पुनर्ग्रहण आदेश को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि पुन: ग्राम सभा में निहित की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-1328(1)/एक-1-2015-5(97)/2014 तद् दिनाँक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ।
4- जिलाधिकारी, गोण्डा ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in